छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002

क्रमांक 886 /एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 16/05/11

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / वित्त /योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय / गृह/ जेल / लोक निर्माण / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / आवास एवं पर्यावरण / खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण /नगरीय प्रशासन एवं विकास / महिला एवं बाल विकास / सामान्य प्रशासन / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / संस्कृति विभाग मंत्रालय, रायपुर.

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक दिनांक 12 मई, 2011 का कार्यवृत्त ।

----0000----

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की **बैठक दिनांक 12 मई, 2011** का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट **http://cgfinance.nic.in** पर उपलब्ध है ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

16/05/11
(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 837 /एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 16/05/11

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर .
3. श्री बघेल, प्रोग्रामर, एफ.एम.आई.एस. मंत्रालय, रायपुर.

16/05/11

शोध अधिकारी
वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 12/05/2011 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12 मई, 2011 को राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2011-12 में प्रथम बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) **वन संरक्षण** -

वर्ष 2011-12 के लिये विभाग को प्राप्त राशि ₹ 51.39 करोड़ हेतु प्रस्तुत की गई विभागीय कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार निम्नांकित मदों में राशि व्यय की जावेगी :-

(राशि ₹ लाख में)

1.	नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में फारेस्ट पोस्ट का निर्माण	1200.00
2.	महत्वपूर्ण कार्यालयों में जनरेटरों की स्थापना	157.00
3.	सामुदायिक संगठन एवं क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	70.00
4.	ग्रामीण अधोसंरचना का उन्नयन एवं वन ग्रामों का विकास	700.00
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आय वृद्धि संबंधी गतिविधियां	600.00
6.	वन सड़कों का उन्नयन	1259.00
7.	बिगड़े वनों का पुनरूद्धार एवं पुर्ननिर्माण	853.00
अ.	सर्वेक्षण एवं कार्ययोजना का निर्माण	
ब.	पौधारोपण	
8 अ.	बिगड़े बांस वनों का पुर्ननिर्माण	300.00
ब.	शोधन केन्द्रों की स्थापना/शेड कार्य	
	योग	5139.00

(कार्यवाही वन विभाग)

(2) **यू.आई.डी./क्षमता निर्माण/पुरातत्व संरक्षण/जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण** -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जावे । प्रमुख सचिव, राजस्व को निर्देश दिये गये कि क्षमता निर्माण संबंधी कार्ययोजना को तैयार करने के पूर्व सिविल डिफेंस को अपने कार्ययोजना में लेने हेतु महानिदेशक होमगार्ड से आवश्यक समन्वय स्थापित करें ।

(कार्यवाही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/ संस्कृति/सामान्य प्रशासन विभाग)

(3) **स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण :-** विभागीय प्रस्ताव 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (23.00 लाख प्रति भवन की दर से), 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (49.00 लाख प्रति भवन की दर से), 20 औषधालय का निर्माण (15.00 लाख प्रति भवन की दर से) सहित कुल प्रस्ताव 16.46 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया । प्रशासकीय अनुमोदन हेतु नस्ती वित्त विभाग को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(4) **सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार-**

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 3.54 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके मुख्य मदें निम्नानुसार हैं :-

(राशि करोड़ में)

1.	Preparation of Business Register at District Level	1.49
2.	Strengthening of Local Bodies	0.71
3.	Improvement of data in respect of Farm activities	0.62
4.	Pooling of central & state sample data for generating district level parameters	0.25
5.	Providing network connectivity among district & state headquarters	0.19
6.	Training of newly recruited staff	0.27
	योग-	3.54

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि बिन्दु क्रमांक 5 में अंकित मद को स्वान से जोड़ने हेतु संभावना का भी परीक्षण किया जावें ।

(कार्यवाही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(5) नगरीय निकायों को अनुदान-

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 66.75 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके मुख्य मदें निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

1.	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	18.77
2.	स्ट्राम वाटर ड्रेन	22.03
3.	जल प्रदाय	13.35
4.	सेनीटेशन एवं सीवरेज	6.01
5.	डाटा सेंटर की स्थापना	6.60
	योग	**66.76**

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण वित्त विभाग को शीघ्र प्रेषित करें ।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास)

(6) **पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान**-

(अ) स्थानीय निकायों को अनुदान :- वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 267.39 करोड़ जिसमें सामान्य मूल अनुदान की राशि 180.39 करोड़,विशेष क्षेत्र मूल अनुदान राशि 25.30 करोड़ एवं परफार्मेंस अनुदान राशि 61.70 करोड़ सम्मिलित है, के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया ।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि पंचायती राज विभाग उपरोक्त मदों मे अन्य योजनाओं से मिलने वाले राशि का आंकलन कर ओव्हरलेपिंग की स्थिति को रोके । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2010-11 की द्वितीय किश्त का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें ।

(ब) सड़क/पुल के रख-रखाव-

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 73.90 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना प्रस्ताव के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि 69.30 करोड़ का अनुमोदन किया गया, जिसकी मुख्य मदें निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

क्र.	जिला	सड़कों की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी.)	नवीनीकरण की राशि
1.	बस्तर	13	70.27	6.92
2.	बिलासपुर	13	69.77	6.38

3.	दंतेवाड़ा	3	20.19	1.99
4.	दुर्ग	23	84.69	7.74
5.	जांजगीर-चांपा	4	16.35	1.49
6.	कांकेर	15	49.62	4.85
7.	कवर्धा	21	67.19	6.14
8.	कोरबा	14	56.29	5.15
9.	महासमुंद	13	39.07	3.57
10.	कोरिया	20	89.68	8.20
11.	रायपुर	7	41.23	3.77
12.	रायगढ़	7	24.10	2.20
13.	राजनांदगांव	17	71.09	6.50
14.	सरगुजा	9	47.64	4.40
	योग-	179	747.18	69.30

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(7) नया रायपुर का विकास -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन हेतु शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें ।

(कार्यवाही आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(8) आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि प्रति आंगनबाड़ी भवन की लागत दर ₹ 3.00 लाख कम है, तो विभाग लोक निर्माण विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्राक्कलन का पुनरीक्षित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करें ।

(कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग)

(9) पुलिस प्रशिक्षण -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन हेतु शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें । लोक निर्माण विभाग प्राक्कलन शीघ्र बनाने की कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग)

(10) पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन हेतु शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें । लोक निर्माण विभाग प्राक्कलन शीघ्र बनाने की कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग)

(11) कारागार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण -

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन हेतु शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे । लोक निर्माण विभाग प्राक्कलन शीघ्र बनाने की कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही जेल विभाग/लोक निर्माण विभाग)

(12) कर्मचारी एवं पेंशन डाटा बेस-

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुमोदित कार्ययोजना एवं भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार विभाग एन.आई.सी. आवश्यक समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही वित्त विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को वर्ष 2010-11में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अनुमोदित सभी कार्यो की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि राशि का शीघ्र का उपयोग किया जा सके ।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

16/05/2011.
(ए. के. सिंह)
सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री नारायण सिंह	–	अपर मुख्य सचिव, वन
2.	श्री अजय सिंह	–	प्रमुख सचिव, वित्त
3.	श्री विवेक ढांड	–	प्रमुख सचिव, खाद्य/श्रम/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4.	श्री एस.के. कुजूर	–	प्रमुख सचिव, राजस्व/पुनर्वास/राहत
5.	श्री आर.पी. मंडल	–	सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति
6.	श्री पी.सी.मिश्रा	–	सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
7.	श्री एस.एस. बजाज	–	विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण
8.	श्री ए.एन.उपाध्याय	–	सचिव, गृह
9.	श्री टी.सी. गुप्ता	–	उप सचिव, संस्कृति
10.	श्री आर. प्रसन्ना	–	उप सचिव, स्वास्थ्य
11.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल	–	विशेष सचिव,
12.	श्री डी.के. सहगल	–	अवर सचिव, लोक निर्माण

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री एस.के.पासवान	-	महानिदेशक, जेल
2.	श्री संजय पिल्ले	-	महानिरीक्षक, पुलिस
3.	श्री संजय शुक्ला	-	आयुक्त, नगरीय प्रशासन
4.	श्री आर. एन. द्विवेदी	-	ए.पी.सी.सी.एफ., वन
5.	श्री एन.के. शुक्ला	-	संचालक, संस्कृति
6.	श्री आलोक अवस्थी	-	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
7.	श्री अनबलगन	-	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
8.	श्री एम.डब्लयू.अंसारी	-	संचालक, लोक अभियोजन
9.	श्री जी.एस.बदेशा	-	संचालक, आयुष
10.	डॉ. जे.के.उपाध्याय	-	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, वन
11.	श्री ए.एक्का	-	अपर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
12.	श्री भारत सिंह	-	उपमहानिरीक्षक, जेल
13.	श्री एल.के.पाणिग्राही	-	मुख्य अभियंता, एन.आर.डी.ए.
14.	श्री विनोद कुमार लाल	-	महाप्रबंधक, एन.आर.डी.ए.
15.	डॉ. ए.के.भोईटे	-	संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा
16.	क्रिस्टीना एस. लाल	-	संयुक्त संचालक, महिला बाल विकास
17.	डॉ. अल्पना घोष	-	संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन
18.	श्री बी.एस.तिवारी	-	सहायक संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
19.	श्री आर.आर.बांधे	-	वित्त अधिकारी, जेल मुख्यालय